(नागौर)
सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

18/5/16

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट मकराना में प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम रूपपुरा के ख.न. 45 रकबा 0.31 हैक्टर भूमि वक्त जागीर यानि रा.का.अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व से वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की जागीर की भूमि रही है, जिसमें 1/3 हिस्सा पश्चिमी तरफ की भूमि पर प्रतिवादीगण 6,7,8 के पूर्वज व 2/3 हिस्सा पूर्वी तरफ की भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 5 के पूर्वज काबिज रहे हैं। उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा पश्चिमी तरफ व पूर्वी तरफ की 2/3 हिस्सा की 1/3 हिस्सा भूमि वादी के पिता के कब्जा व कास्त में रही तथा वादी के पिता का स्वर्गवास करीब 20 वर्ष पूर्व हो जाने से भू-भाग 125 फुट लम्बी व उत्तर दक्षिणी भुजा 35 फुट चौड़ाई में है। इस 35x125 भूमि के चारों तरफ वादी की चार दीवारी बनाई हुई है तथा इस भूमि में वादी के रहवासीय मकानात बने हुये है जहां वादी परिवार निवास करता आया है। वक्त जागीर वादी नाबालिग अवस्था में था तथा वादी स्वामित्व 2/3 हिस्सा

मुकदमा नं. सामान्य वाद 34/08 हनुमानसिंह / भवानीसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

भैरोसिंह का चन्द्रसिंह जो वादी के दादोसा रूपसिंह जी के सगे भाई रामनाथसिंह के पुत्र थे। और इसी वजह से वादी का नाम खातेदारी में दर्ज होने से छूट गया। वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम रूपपुरा के ख.न. 45 रकबा 0.31 हेक्टर में 2/9 हिस्सा भूमि का वादी काबिज खातेदार कृषक है। इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

बाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा वादी सामान्य राजपूत जाति का होने से विवादित भूमि पर किसी भी हैसियत कानून से वादी का काबिज होना सिद्ध नहीं है अतः वाद खारिज किया जावे।

वाद पत्र के तनकियात कायम की गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रा-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC नियम 51 ए व 57 सामान्य नियम प्रस्तुत किया। प्रा.पत्र पर दोनों पक्षों को सुना गया। प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। मूल वाद पर पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा में अंकित तथ्यों को देखा गया। जमाबंदी एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवार हल्का अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा एवं रहवासीय मकान बने हुए है, जिनकी पुष्टि उपलब्ध बिजली बिल, पानी बिल एवं फोटो कॉपी रूपपुरा में आमजन से पूछताछ कर पर सही प्रतीत होती है तथा वादी का कब्जा होने की पुष्टि फील्ड कोर्ट रूपपुरा में आमजन से पूछताछ करने पर होती है।

अतः वाद वादी काबिल डिक्री पाया गया। ग्राम रूपपुरा के ख.नं. 45 रकबा 0.31 हेक्टर के वादी हनुमानसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी

उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर (...नागौर)

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

वादी हनुमानसिंह **बनाम** प्रतिवादी भवानीसिंह

किस्म मुकदमा स्वत्व वाद अधीन धारा 88 R.T.A. मु.नं. 348/08

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	स्वपुत्र को 2/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे शुदा खातेदारी मकानात एवं उक्त अनुसार घोषित हिस्से में दखल अंदाजी न तो स्वयं करे तथा न ही अपने एजेन्टो से करावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामन को लिखा जावें। डिक्री पर्चा मय जाब्ता शामिल मिसल किया जावे। आदेश आज दिनांक 18/5/11 को कैम्प कोर्ट मंडावरा में सुनाया गया। (महेन्द्र मीणा) उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर कुचामन सिटी (नागौर) कैम्प कोर्ट - मंडावरा	